

नोडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (युवक) हल्द्वानी जनपद नैनीताल मैनुअल- 13

संस्थानों द्वारा विभाग एवं शासन से प्राप्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्धारित आरक्षण सुविधाओं का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिलाओं, सैनिक आश्रितों आदि वर्गों हेतु प्रशिक्षण संस्थानों में दी जाती है।

इनके अतिरिक्त शासनादेशों द्वारा अनुमन्य सैनिकों एवं जम्मू कश्मीर के निवासियों को भी प्रशिक्षण स्थान आरक्षित किये जाते हैं।

विभिन्न वर्गों के प्रशिक्षार्थियों को शासनादेशों द्वारा अनुमन्य छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं ।